

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

पटना--15, दिनांक : 15 सितम्बर, 2017

संख्या-1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-11974/ श्री अमिताभ वर्मा, भा0प्र0से0(82), (केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापसी के उपरान्त सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत) को अगले आदेश तक मुख्य परामर्शी, बिहार राज्य योजना पर्षद् के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-11975/श्री सुनिल कुमार सिंह, भा0प्र0से0(83), (केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापसी के उपरान्त सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत) को अगले आदेश तक कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-11976/श्री एच0आर0 श्रीनिवास, भा0प्र0से0(96), सचिव, संसाधन, वित्त विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-सचिव, राजस्व पर्षद्, बिहार, पटना) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री एच0आर0 श्रीनिवास अगले आदेश तक आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

संख्या-1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-11977/श्रीमती अश्विनी दत्तात्रेय ठकरे, भा0प्र0से0(2006), अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-11978/श्री मो0 सलीम, भा0प्र0से0(2006), संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, राजस्व पर्षद्, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-11979/श्री मनोज कुमार सिंह, भा0प्र0से0(2009), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, जहानाबाद(अतिरिक्त प्रभार-बन्दोबस्त पदाधिकारी, जहानाबाद) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अपर स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली के पद पर पदस्थापित किया जाता है।


संख्या-1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-11980/श्री आलोक रंजन घोष, भा0प्र0से0(2011), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, अरवल (अतिरिक्त प्रभार-बन्दोबस्त पदाधिकारी, अरवल) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें जहानाबाद जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. श्री आलोक रंजन घोष अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, जहानाबाद की अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

संख्या-1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-11981/श्री सतीश कुमार सिंह, भा0प्र0से0(2008), अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग(अतिरिक्त प्रभार-निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, अरवल के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें अरवल जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. श्री सतीश कुमार सिंह अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, अरवल के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,


15.9.17
(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-11981/पटना-15, दिनांक: 15 सितम्बर, 2017

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित(द्वारा- आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/ महालेखाकार(ले. एवं ह.), बिहार, पटना/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार पटना/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली /मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/संबंधित पदाधिकारी/सभी विभाग /सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना /भू-संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना(विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु) /सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, 06 एवं 19 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


15.9.17
(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।